आवेदक : हरीओम पाराशर उम्र लगभग 41 वर्ष पिता श्री लाल साहब पाराशर, निवासी–शिवाजी वार्ड क्र. 4, लखनादौन जिला सिवनी द्वारा मुख्तयारआम कन्हैयालाल ठाकुर उम्र 56 वर्ष पिता श्री सभाचंद ठाकुर निवासी– शिवाजी वार्ड क्र. 4, लखनादौन, जिला सिवनी

विरूद्ध

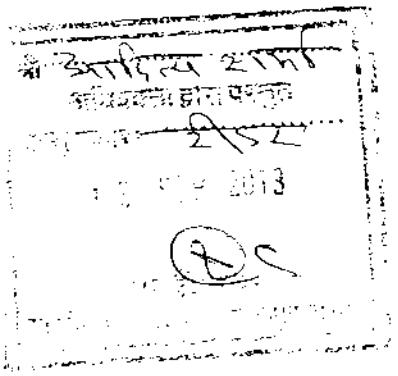

अनावेदकगण : 1. म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सिवनी, सिवनी

2. कलेक्टर सिवनी, जिला सिवनी म0 प्र0

3. अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3876–एक / 13

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
16–6–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 119 / अ–21 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.5.13 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर कलेक्टर ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन को निरस्त किया गया हे । 2– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश संहिता के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए पारित किया गया है । आवेदक द्वारा विकय की जा रही प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 57 / 112 रकबा 0.011 (1250 वर्गफुट) उसके द्वारा दिनांक 21–7–11 को कय किया है । उक्त भूमि का सर्वप्रथम विकय भूमिस्वामी रतनचंद जैन व इंदर जैन ने श्रीमती रामादेवी शुक्ला को 19–12–84 को किया गया था । आवेदक ने उक्त प्लाट 29 साल बाद 21–7–11 को कय किया था, जिसका डायवर्सन 2–12–11 के आदेश द्वारा एस.डी. ओ. ने किया । पत्नी के इलाज, बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण आवेदक ने प्रश्नाधीन प्लाट के विकय की अनुमति हेतु आवेदन दिया जिसे इस आधार पर अपर कलेक्टर ने निरस्त कर दिया गया है कि 2–12–11 को कराया गया डायवर्सन नियमों के अनुसार न कराने से अनुमति नहीं दी जा सकती । विकय की अनुमति न दिए जाने के संबंध में लिया गया उक्त आधार संहिता के प्रावधानों पूरी तरह विपरीत है उन्हें संहिता की धारा 165(6) के अनुसार आदेश पारित करना चाहिए था । यदि यह माना लिया जाये कि आवेदक की भूमि का डायवर्सन नहीं किया जा सकता तो आवेदक की भूमि कृषि भूमि होने के कारण विकय हेतु कलेक्टर की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं थी । इस विधिक स्थिति को भी अपर कलेक्टर ने अनदेखा किया है । 3– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कि कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है । यह भी कहा गया चूंकि आवेदक ने अपर कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं अतः प्रकरण का निराकरण इसी स्तर पर करते हुए आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये ।

5— उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि का सर्वप्रथम विक्रय 19—12—84 को अर्थात 29 वर्ष पूर्व हुआ है । इसके उपरांत पुनः 21—7—11 को विक्रय हुआ है तथा आवेदक द्वारा भूमि क्रय किए जाने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि/प्लॉट का डायवर्शन कराया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा यह मानना कि डायवर्सन नियमों के अनुसार नहीं हुआ है, सही नहीं है इसके अतिरिक्त डायवर्सन नियमानुसार न होने के आधार पर भूमि के विक्रय की अनुमति देने से इंकार करना न्यायोचित नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में इन समस्त परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने भूमि विक्रय की अनुशंसा की है । उन्होंने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि आवेदक उक्त भूमि विक्रय कर अपनी पत्नि का इलाज कराना चाहता है । इस प्रतिवेदन को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि का सर्वप्रथम विक्रय वर्ष 1984 में हुआ है, अपर कलेक्टर द्वारा डायवर्सन को नियमानुसार न मानते हुए, विक्रय की अनुमति से इंकार करना विधिसम्मत नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को ग्राम सेलुवा तहसील लखनादोन जिला सिवनी स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 57/112 रकबा 0.011 हैक्टर (1250 वर्गफुट) के विक्रय की अनुमति दी जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर